

24^{8/23} आज यह पत्रावली प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तलब की गई। प्राणी के अधिवक्ता उपर। प्राणी के अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि उक्त अनुदान के मुकदमा में न्यायालय सीमाना द्वारा सूरे आदेश जारी किया हुआ है। जिससे उक्त मुकदमा में वाणिज्य आराजी ख न० हाल 558 व 829/1334, 830/1335, 831/1306, 831/1336, 833, 875 वाले ग्राम इस्वी तहसील बस्तेड जिला-अलवर में सूरे आदेश का नोट लगा हुआ है। उक्त अनुदान के मुकदमा में वाणिज्य आराजी की ब्याज आपस में मिल बैठकर राजीनामा हो गया है। इसलिए मनवादी उक्त अनुदान के मुकदमा में वाणिज्य आराजी पर सूरे की कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहता है। इसलिए उक्त मुकदमा में वाणिज्य आराजी से टावा किशो किया जाने की शर्त को प्राणी के प्रार्थना-पत्र पर प्राणी के वकील को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अग्रा प्राणी के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाप प्रति दालेह दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.